



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112025-267873
CG-DL-E-20112025-267873

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5131]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 2025/कार्तिक 29, 1947

No. 5131]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 20, 2025/KARTIKA 29, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2025

का.आ. 5302(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसरण में, गुजरात राज्य सरकार के साथ परामर्श से, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.2002 (अ) तारीख 2 मई, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैरा 1 में क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“1. श्री अक्षय कुमार सक्सेना,
भारतीय वन सेवा.
के-219, सेक्टर 19,
गांधीनगर-382019,
गुजरात

अध्यक्ष
(अतिरिक्त प्रभार);”

(ii) पैरा 3 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“3क. श्री अक्षय कुमार सक्सेना का अध्यक्ष, अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यकाल इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से 6 मास की अवधि या किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगा”

[फा. सं. आईए3-13/4/2023- आईए. III]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2002(अ) तारीख 2 मई, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2025

S.O. 5302(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government, in consultation with Government of Gujarat, hereby makes amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, vide number S.O. 2002(E), dated 2nd May, 2025 (hereinafter referred to as the said notification), namely:-

In the said notification, -

(i) in paragraph 1, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

"1. Shri Akshay Kumar Saxena,
Indian Forest Service
K-219, Sector-19, Gandhinagar
- 382019, Gujarat.

Chairman
(Additional Charge);"

(ii) after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“3A. The tenure of Shri Akshay Kumar Saxena as Chairman, Additional Charge shall be for a period of six months from the date of commencement of this notification or till the appointment of a new Chairman whichever is earlier.”

[F. No. IA3-13/4/2023-IA.III]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Note. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2002(E), dated the 2nd May 2025.